











- ✓ विद्यार्थी इन परीक्षा पाठ्यक्रम संबंधित कार्य वाली संस्थाओं को समुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई शिक्षा आयोगित प्रदेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रोग्राम होने के पूर्व सूचित कराई। मैं अनुसूचित प्रायः इन परिषद कार्यक्रम को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रदेश की (सांख्यिकीय के माध्यम से अथवा संस्था द्वारा दर सीधे प्रदेश) अनुसूचित नहीं कराया की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आसुरण विधायी का अनुसूचित कठम आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट या संस्था की सरकारी सूचना जैसे संस्था की वैकल्पिक पृष्ठ भूमि, सत्र, सत्र-सत्र, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुन, छात्रावास सुन आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-विकास हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध करने के साथ उचित टीको के संस्था में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाये।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित ही से कि संस्था में पर्यटित संबंधित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-सत्र, फनीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संस्थान में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समस्त किया जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वतीय निर्देशन द्वारा यदि संस्था में भूमि, सत्र, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सत्र-सत्रा यो.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई.टी. परिषद के समस्तानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समस्त कर ही जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुसूचित न किया जाने अथवा नहीं का उपलब्ध किया जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा अनुसूचितानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शर्मा)

सचिव

पृष्ठ-0- अतिरिक्त सम्बद्धता/2021/2538-4809

दिनांक: 09/08/2021

संस्थान-

एशियाई-इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनैशनल एक्सेलेंस, 281-300 VILLAGE-DOTAI KHIWAL, GARRH, MEERUT ROAD, GARRHMUKTESHWER, HAPUR, GHAZIABAD-245205



(सुनील कुमार शर्मा)

सचिव